प्रेस नोट
*जनपद – संतकबीरनगर *
दिनाँक 22.02.2026

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना धनघटा पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता 01. अलगू चौहान पुत्र राम धन निवासी लोनियान कनैला थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री हरिकेश भारती, का0 शरद राय।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में .. अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।*
थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।*

पीआरवी आफ द डे
पीआरवी 5261 द्वारा मोटरसाइकिल फिसल जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल–
पीआरवी 5261 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत नौरगिंया चौराहा से कालर द्वारा मोटरसाइकिल फिसल जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (01. शक्ति पुत्र रामकेश साहनी निवासी बरपरवा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 108 एम्बूलेंस की सहायता इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता इलाज हेतु अपस्ताल भेजवाया गय, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- का0 प्रदीप यादव, हो0गा0चा0 इन्द्रासन।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 275 वाहनों से 300,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 22.02.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 275 वाहनों से 300,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के मामले में वांछित अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्वदवन सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष मेंहदावल *श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह* के नेतृत्व में थाना मेंहदावल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 61/2026 धारा 105,115(2),352,333 बीएनएस में वांछित अभियुक्ता नाम पता रईसुन्निशा पत्नी अरशद निवासी मु0 पश्चिम टोला थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 22.02.2026 को अभियुक्ता को घर के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी आजाद अहमद पुत्र बरकत अली निवासी पश्चिम टोला थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनाँक 20.02.2026 को उपरोक्त अभियुक्ता पर वादी की पत्नी मब्सिरा खातून के साथ मारपीट कर गम्भीर रुप से घायल कर देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। वादी के पत्नी को ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। उक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए घटना में सम्मिलित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पताः-
रईसुन्निशा पत्नी अरशद निवासी मु0 पश्चिम टोला थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-
थानाध्यक्ष मेंहदावल श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, हे0का0 वीरेन्द्र कुमार, म0का0 सबीना खातुन।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती का दुपट्टा खींचने वाले शोहदे को भेजा गया जेल
थाना महुली पुलिस की कार्यवाही से शोहदों में भय का माहौल

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अभयनाथ मिश्र* के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महुली *श्री दुर्गेश कुमार पाण्डेय* के नेतृत्व में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 22.02.2026 को थाना महुली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 68/2026 धारा 115(2), 74 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रवि पुत्र अवधेश निवासी नीबाहोरिल थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 22.02.2026 को थाना महुली पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अपने खेत से वापस आते समय दुपट्टा खींचने, छेड़खानी करने तथा मारपीट करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना महुली पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- का0 अरविन्द यादव।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक *थाना कोतवाली खलीलाबाद* के नेतृत्व में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 112/ 2026 धारा 2(b)(i), 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सूरज अग्रहरी पुत्र लक्ष्मी प्रसाद निवासी जगदीशपुर उर्फ लहुरादेवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 22.02.2026 को अभियुक्त के घर से विधिक नियमों का पालन करते हुये गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण
सूरज अग्रहरी पुत्र लक्ष्मी प्रसाद निवासी जगदीशपुर उर्फ लहुरादेवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

आपराधिक इतिहास
1. मु0अ0सं0 795/2025 धारा 304(2), 317(2),112 बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
2. मु0अ0सं0 163/2025 धारा 304(1), 317(2) बीएनएस थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती।
3. मु0अ0सं0 112/ 2026 धारा 2(b)(i), 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- प्रभारी निरीक्षक थाना को0 खलीलाबाद श्री जयप्रकाश दूबे, उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, उ0नि0 श्री अशोक कुमार दूबे, उ0नि0 श्री हरिकेश बहादुर सिंह, उ0नि0 श्री धर्मनाथ यादव, हे0का0 रविशंकर श्रीवास्तव, हे0का0 पप्पू सिंह, का0 प्रशान्त विक्रम सिंह, का0 प्रदीप कुमार, म0का0 सुनीता पाल, का0 विशाल कुमार सिंह, का0 जनार्दन प्रसाद, म0का0 दुर्गावती खरवार, म0हो0गा0 विजयलक्ष्मी।

- *उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं को जागरूक करने हेतु मिशन शक्ति 5.0 अभियान के क्रम में बहु-बेटी सम्मेलन का किया गया भव्य आयोजन*

- *कुल 11 स्थानों पर बहू-बेटी सम्मेलन का सफल आयोजन, कुल 739 महिलाओं/बालिकाओं द्वारा किया गया प्रतिभाग*

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा महिला सशक्तिकरण, एंटी रोमियो अभियान एवं महिलाओं की सुरक्षा एवं जागरूकता के संबंध में दिए गए निर्देशों के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन में जनपद के सभी सर्किलों के क्षेत्राधिकारीगण के पर्यवेक्षण में जनपद के सभी थानों की एंटी रोमियो टीम के कुशल नेतृत्व में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत 14 स्थानों पर बहु-बेटी सम्मेलन एवं महिला सशक्तिकरण चौपाल का आयोजन किया गया जिसमें 1305 महिलाएँ/बालिकाएं उपस्थित रही।

कार्यक्रम के दौरान समस्त थानों पर नियुक्त एंटी रोमियो टीम द्वारा विभिन्न गांवो में जाकर बहु-बेटी सम्मेलन आयोजित कर किया गया जागरूकता कार्यक्रम 01. थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा ग्राम चूड़ी फ़रोस वार्ड-3 व शेरपुर में 02. महिला थाना द्वारा कलेक्ट्रेट में 03. थाना दुधारा द्वारा पिपरा बोरिंग, खटियावा, लौकी लाला में 04. थाना महुली द्वारा छितहीं पूरब टोला में 05. थाना धनघटा द्वारा नरायनपुर, धुसवा, मकदूमपुर में 06.थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा बढ़या ठाठर, बानडूमर में 07.थाना बखिरा पुलिस द्वारा नावध, कमरिया तिराहा, नन्दौर चौराहा पर 08. थाना बेलहरकला द्वारा जंगल दशहर में 09. धारा धर्मसिहंवा पुलिस द्वारा गौरीराई, सेवाइचपार, बरगदवा में महिलाओं, बहु-बेटियों एवं बालिकाओं को एकत्रित कर चौपाल के माध्यम से मिशन शक्ति 5.0 अभियान एवं शासन की विभिन्न महिला कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इनमें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, मातृ शक्ति को सम्बल योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना आदि शामिल रहीं। महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों व कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई, जैसे वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि। चर्चा के दौरान गुड टच – बैड टच, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध जैसे विषयों पर भी विस्तृत रूप से वार्ता की गई तथा उपस्थित महिलाओं को पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया गया।

इस कार्यक्रम में महिला बीट अधिकारियों एवं मिशन शक्ति टीमों ने ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल शैली में संवाद सत्र कर महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं, आत्मरक्षा के उपायों और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गयी और साथ ही महिलाओं से कहा गया कि वे निडर होकर अपनी बात रखें और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाएं।

उक्त सम्मेलन का महिलाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा तथा वहां उपस्थित महिलाओं ने बताया कि इस आयोजन से घरेलू हिंसा और पति-पत्नी के विवाद को खुलकर आपस में साझा करने का अवसर मिला है तथा हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ा है। अपनी प्रतिभा को बढ़ाने का अवसर मिला, हम लोग अपने प्रतिभा का उत्कृष्ट प्र्दर्शन करते हुए आत्मनिर्भर बनेंगे। *महिलाओं द्वारा बताया गया कि पुलिस के प्रति हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है इस प्रकार के कार्यक्रम हमेशा होते रहने चाहिए। जिससे हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे और हम लोग अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक *थाना कोतवाली खलीलाबाद* के नेतृत्व में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 112/ 2026 धारा 2(b)(i), 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रोहित पुत्र लालजी निवासी जगदीशपुर थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती को आज दिनाँक 22.02.2026 को काँटे तिराहे के पास से विधिक नियमों का पालन करते हुये गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण
रोहित पुत्र लालजी निवासी जगदीशपुर थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती।

आपराधिक इतिहास
1. मु0अ0सं0 795/2025 धारा 304(2), 317(2),112 बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
2. मु0अ0सं0 163/2025 धारा 304(1), 317(2) बीएनएस थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती।
3. मु0अ0सं0 112/ 2026 धारा 2(b)(i), 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- निरीक्षक अपराध श्री राकेश कुमार सिंह, उ0नि0 श्री उमाशंकर त्रिपाठी, हे0का0 हरिप्रकाश, का0 चन्द्रशेखर।